

भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान

भा.कृ.अ.प.

लाइब्रेरी एवेन्यु, नई दिल्ली-110012

फा.सं. 20(17)/2013-प्र.-1

दिनांक : 28.12.2015

परिपत्र

विषय: वर्ष 2016 (as on 01.01.2017) को समाप्त अवधि के दौरान अचल सम्पत्ति की रिटर्न ।

In accordance with the provisions of Clause (II) of Rule 18(1) of the CCS (Conduct) Rule 1964 के अनुसार संस्थान के ऐसे सदस्य, जो ग्रुप ए, बी एवं सी तथा इससे उच्च वर्ग की सेवा में कार्यरत है, को पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद हर 12 महीने के अन्तराल पर, प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को, अपनी उस अचल सम्पत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो उसने स्वयं प्रस्तुत की है, उसे वंशानुगत रूप से मिली है अथवा उसने लीज पर ली है या फिर कोई भी सम्पत्ति अपने नाम पर अथवा अपनी पत्नी, बच्चों, सौतेले बच्चों अथवा अपने परिवार के किसी भी ऐसे सदस्य के नाम, जो उसे पर पूरी तरह से आश्रित है, के नाम पर, गिरवी रखी है ।

संस्थान के उन सभी सदस्यों, जो ग्रुप ए, बी एवं सी, में कार्यरत हैं, उनसे अनुरोध है कि अपेक्षित सूचना संलग्न प्रपत्र में भर कर दिनांक 16.01.2017 तक सम्बंधित प्रशासन अनुभाग में भेज दें । कृप्या उस कार्यालय आदेश की संख्या और तिथि का भी उल्लेख करे जिसके जरिए उन्हें सम्पत्ति खरीदने व बेचने-की अनुमति दी गई थी । यदि सूचना शून्य है तो भी उसका उल्लेख प्रपत्र में अवश्य कीजिए तथा साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि परिषद के पत्र संख्या 95 (1)/2014-पर्सनल-III दिनांक 10.01.2014 के निर्देशानुसार 'Vigilance clearance can be denied to an officer on account of non-submission of annual immovable property return'.

( चन्द्र वल्लभ )

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :-

1. निदेशक कार्यालय, भा.कृ.सां.अ.सं.
2. कार्यालय प्रधान/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी के निजी सहायक, भा.कृ.सां.अ.सं.
3. ओ.एम.वी. एकक, भा.कृ.सां.अ.सं.।
4. समस्त प्रभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष/एकक/प्रभारी, को इस अनुरोध सहित प्रेषित है कि इस परिपत्र के विषय में अपने सभी अधीनस्थ कर्मियों को अवगत करायें ।
5. प्रभागाध्यक्ष संगणक अनुप्रयोग से अनुरोध है वे कृप्या इस परिपत्र तथा संलग्न प्रपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित करें ।
6. प्रभारी अधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय, एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स, नई दिल्ली को अग्रिम कार्रवाई हेतु ।
7. सचिव, आई.जे.एस.सी., भा.कृ.सां.अ.सं.।
8. प्रशासन ॥ अनुभाग को इस अनुरोध है कि तकनीकी कर्मियों से अपेक्षित सूचना लेकर इस अनुभाग के पास दिनांक 20.01.2017 तक अवश्य प्रस्तुत करें ।

28/12/15

28/12/15

**वार्षिक अचल सम्पत्ति रिटर्न**  
**ANNUAL IMMOVABLE PROPERTY RETURN**

**31.12.2016 के लिए अचल सम्पत्ति का विवरण**  
**Statement of immovable property for the year 31.12.2016**

- 1 सन्स्थित अधिकारी का नाम (पूर) तथा सेवा  
Name of Officer (in full) and service to which the Officer belongs
- 2 वर्तमान पद Present post held
- 3 वर्तमान वेतन Present pay

जिला उपखंड तालुक एवं गांव का नाम जहाँ सम्पत्ति है Name of District Sub-Division Taluk & Village in which property is situated	सम्पत्ति का विवरण Name & Details of property	सम्पत्ति का नाम एवं Details of	मूँमि Lands	अन्य भवन एवं Housing and other buildings	*वर्तमान कीमत *Present value	यदि आपके नाम नहीं है तो किसके नाम है तथा सरकारी कर्मचारी से उसका सम्बन्ध If not in own name state in whose name held & his/her relationship to the Govt. Servant	किस प्रकार प्राप्त की? क्या खरीदी है, पट्टे पर है, गिरवी है, पुरतनी उपहार है अथवा अन्य। प्राप्ति की तिथि तथा जिस व्यक्ति/व्यक्तियों से प्राप्त की उनका नाम एवं पूर्ण विवरण How acquired whether by purchase, lease**, mortgage, inheritance gift or otherwise. with date of acquisition and name with details of person/persons from whom acquired	सम्पत्ति से वार्षिक आय Annual income from the property	टिप्पणी Remark

हस्ताक्षर Signature .....

तिथि Date .....

जो लागू न हो उसे काट दें ।

Inapplicable clause to be struck out.

जहाँ सही कीमत आँकना सम्भव न हो वहाँ वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में अनुमानित कीमत बताएँ ।

In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate value in relation to present conditions may be indicated

असकालीन पट्टा (लीज) भी शामिल है ।

Includes short-term lease also

'कोई परिवर्तन नहीं अथवा कोई वृद्धि नहीं या गत वर्ष के अनुसार' जैसे शब्दों का प्रयोग न करें तथा सभी विवरण भरें ।

The wording 'No Change or No addition or As in previous year' may be avoided and all details filled-up

नोट : सी.सी.एस. (आवरण) नियम (1964) के केन्द्रीय सितिल सेवा (आवरण) नियम 1955 वर्तमान में नियम 18 (1) के नियम 15 (3) कि अन्तर्गत श्रेणी I एवं II (ग्रुप 'ए' एवं ग्रुप 'बी') के सदस्यों द्वारा यह घोषणा-पत्र सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय तथा प्रत्येक 12 माह के अन्तराल पर भरा जाना आवश्यक है । इसमें अपने नाम में अथवा परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य सदस्य के नाम में प्राप्त की गयी या पुरस्ती रूप में प्राप्त की गयी अथवा पट्टे या गिरवी पर प्राप्त की गयी अचल सम्पत्ति का विवरण दें ।

Note: The declaration form is required to be filled in and submitted by member of Class I and Class II (Group 'A' & Group 'B') services under Rule 15(3) of the Central Civil Services (Conduct) Rules 1955 [now Rule 18(1) of the CCS (Conduct) Rules 1964], on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every twelve months, giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on leave or mortgage, either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any other persons